रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528] नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2006/ज्येष्ठ 3, 1928
No. 528] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2006/JYAISTHA 3, 1928

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2006

का.आ. 791(अ).—केंद्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बासमती चावल के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बासमती चावल के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) (संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. बासमती चावल के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 के नियम 2(घ)(iii) में, स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 3**-सुपर बासमती निर्यात के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन यथा अनुमोदित विकसित बासमती घोषित किया जाता है।"।

[फा. सं. 6/2/2000-ई.आई.एंड ई. पी]

एम. वि. पि. सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 68(अ), तारीख 23 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ. 1139 तारीख 15 मई, 2004 और का.आ. 716 तारीख 5 मार्च, 2005 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2006

S.O. 791(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003, in rule 2(d) (iii), after Explanation 2, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"**Explanation** 3 : Super Basmati is declared as approved evolved Basmati under this Act for the purpose of export."

[F. No. 6/2/2000-EI & EP]

M. V. P. C. SASTRY, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, *vide* S.O 68(E) dated the 23rd January, 2003 and subsequently amended *vide* S.O. No. 1139 dated 15th May, 2004 and S.O. No. 716 dated 5th March, 2005.

1561 GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.